प्रारूप-5

(19)

संख्या-3705 / III(2)/08-49(एम0एल0ए0)/08

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

आपके दूरभाष से हुई वार्ता के क्रम में

(अजय टम्टा)
मंत्री
उद्यान, फलोद्योग, रेशम, कारागार,
नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड
उत्तराखण्ड सरकार

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 19 नवम्बर, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 16 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये 16 (सोलह) कार्यो क लागत कुल रूपये 1571.84 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1571.84 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणांनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रूपये 01.60 लाख (रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो को जो दरें शिडयूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो मे आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

11. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-865/XXVII(2)/2008 दिनांक 12 नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 16 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या-3791 (1)/III(2)/08-49(एम0एल0ए0)/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमॉयू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

फोटो प्रति प्राप्त

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सोमेश्वर विधान सभा में स्वीकृत कार्यों की सूची

शासनादेश संख्या– 3704 / III(2) / 00–49(एम०एल०ए०) / 00, दिनांक 17 नवम्बर, 2000 का संलग्नक।

(धनराशि रुपये ला.

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमानित लागत	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय 2000– व्यय हेतु स्वीकृ
1	2	3	4	5	6
1–	जनपद अल्मोड़ा में नौला से सल्ला रौतेला हेतु मोटर मार्ग का नव–निर्माण।	01.00	35.00	35.00	0.1(
2–	जनपद अल्मोड़ा में दौलाघट से रिखे सिलानी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.1(
3–	जनपद अल्मोड़ा में खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (कि०मी० 9.90 से 12.90 तक)	3.00	60.00	60.00	0.1(
4–	जनपद अल्मोड़ा में कुज्याड़ी से दिलकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.00	35.00	35.00	0.1(
5–	जनपद अल्मोड़ा में ग्राम सकार के पास 60मी० स्पान के झूला पुल का निर्माण।	60.00 मीटर	107.00	107.00	0.1(
6–	सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिन्सर–गणानाथ नदी पर महादेवेश्वर महादेव मन्दिर के समीप 40 मी० स्पान स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	40.00 मीटर	59.62	59.62	0.1(
7–	जनपद अल्मोड़ा में ममरछीना–पाटिया मोटर मार्ग का निर्माण।	05.00	175.00	175.00	0.1(
8–	जनपद अल्मोड़ा में पातलीबगड़–गणानाथ मोटर मार्ग के शेष भाग का डामरीकरण कार्य।	02.00	36.00	36.00	0.1(
9–	जनपद अल्मोड़ा में ताकुला–गणानाथ मोटर मार्ग के शेष भाग का पुनःनिर्माण व सुधार कार्य।	02.50	50.00	50.00	0.10
10	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत विकास खण्ड ताकुला में सोमेश्वर अस्पताल के निकट से ग्राम बैगनिया के पैदल मार्ग पर कोसी नदी पर 40 मी० स्पान के पैदल स्टील गर्डर पुल का निर्माण कार्य।	40.00 मीटर	64.78	64.78	0.10
11	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत पीपलथ (कुंवाली क्षेत्र) गलिया नदी में 30 मी० स्पान के पैदल स्टील गर्डर पुल का निर्माण कार्य।	30.00 मीटर	48.50	48.50	0.10
12	जनपद अल्मोड़ा में इटौला–कनालबूंगा मोटर मार्ग का नैनोली तक विस्तार।	04.00	140.00	140.00	0.10
13	सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साईं नदी पर बयाला नामक स्थान पर 24 मी० स्पान के स्टील गर्डर पैदल पुल का निर्माण।	24.00 मीटर	35.94	35.94	0.10
14	जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा–शीतलाखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	15.00	420.00	420.00	0.10
15	जनपद अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधान सभा के अन्तर्गत गुरड़ा के धरौड़ तोक में कोसी नदी पर 40 मी० स्पान के स्टील गर्डर पैदल पुल का निर्माण।	40.00 मीटर	60.00	60.00	0.10
16	जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताकुला के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार।	05.00	175.00	175.00	0.10
	योगः–		1571.84	1571.84	01.60

(रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा